आउटकम बजट
(OUTCOME BUDGET)

2023-24

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

आउटकम बजट 2023–24

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 **Zero Hunger-(2.3)**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना। 2. गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सुदृढ़ीकरण। 3. स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना/कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन। 4. मूल्य संवर्द्धन माडल	11046.00 + 0.03	–	वर्ष 2021–22 में संचालित 20 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 09 परियोजनायें पूर्ण हुयी हैं तथा 11 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' प्रथम चरण का कार्य 5 जनपदों के 42 चयनित ग्रामों में पूर्ण हुआ।	वर्ष 2022–23 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नयी परियोजनाओं का संचालन किया गया। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण (वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक) का कार्य 7 जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों के 50000 है0 क्षेत्रफल में प्रारम्भ किया गया।	वर्ष 2022–23 की 11 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2023–24 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण (वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक) का कार्य 7 जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों में सम्पादित किया जायेगा।	वर्तमान में संचालित 13 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा योजना के तहत नयी परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा। 50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।	1 वर्ष
					सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति अपने स्तर से उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–				

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव –	को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषकों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को शसक्त बनाना।			1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–77,248 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– 95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1489 है0 बीज वितरण–401 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–527 है०, जल सवंहन पाईप वितरण –12065 मी० प्रशिक्षण–21 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–2068 कु० 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक–38 सं० रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–32 सं० सिंचाई टैंक–28 सं० घास रोपण–1500 है० उद्यानीकरण–14000 है०	1.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–80,237 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम(चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1443 है0 बीज वितरण–1603 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –3311 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 17029 मी०, प्रशिक्षण–18 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4500 कु० 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–11 सं० उद्यानीकरण–600 है० भूमि संरक्षण कार्य– 200 सं0	1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण– क्षेत्रफल–90,000 हैक्टेयर मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1850 है0 बीज वितरण–5200 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –9522 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 35200 मी०, प्रशिक्षण–34 संख्या 3. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4500 कु० 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–60 सं० सिंचाई टैंक–40 सं० घास रोपण–2000 है० उद्यानीकरण–20,000 है० भूमि संरक्षण कार्य–400सं0	1. जैविक कृषि के क्षेत्रफल एवं जैविक उत्पादन में वृद्धि होगी। पूर्व वर्षो में संचालित कार्यो से भूमि एवं जल संरक्षण कार्य हो रहा है। 4.नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। 5. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता होगी।	1 वर्ष 1 वर्ष – 1 वर्ष 1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव –							6. कृषकों को जैविक कृषि की उन्नत तकनीकियों की जानकारी होगी। 7. नमी, मृदा एवं जल संरक्षण होगा, सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर पैदा होगें एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	1 वर्ष 1 वर्ष
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	2420.00 + 71.00		संचालित कार्यक्रम – 1. क्लस्टर प्रदर्शन है0)–5501 2. बीज वितरण (कुं0)–4458 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–25796 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–45192 6– कृषक प्रशिक्षण (सं0)–62 7. स्थानीय/अन्य पहल / टैंक/ आटा चक्की (सं0)–44 8. बीज उत्पादन (कुं0)–2579.20 9 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 4	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 4964 2. बीज वितरण (कुं0)–2915 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–43031 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–50500 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–46 7 स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–20 8 बीज उत्पादन (कुं0)–2082.47 9 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 9	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 7354 2. बीज वितरण (कुं0)–8893 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–40748 4. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–15080 5. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–86 6. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–85 7. बीज उत्पादन (कुं0)–5806 8. ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर–5	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गेहूँ जनपद चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में पौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								में वृद्धि।	
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	6112.00	-	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–376 2. चेक डेम–136 4. कच्चे तालाब–63 3. HDPE पाईप मी0–79500 4. जल पम्प(सं0)– 60 5. ट्यूबवेल (सं0)– 196 6. जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत–13 7. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 11130 है0	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)– 551 2. चेक डेम–232 3. HDPE पाईप मी0– 221580 4. जल पम्प(सं0)– 222 5. ट्यूबवेल(सं0)– 196 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 32 7.सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 14500 है0	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–1355 2. चेक डेम–406 3. HDPE / LDPE पाईप (मी0)– 2,81,000 4. जल पम्प(सं0)– 218 5. ट्यूबवेल(सं0)– 555 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 26 7. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / मिनी / माइक्रो / पोर्टेबल)– 23783 है0	उपलब्ध एवं वर्षा जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)								
4	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते	1000.00	–	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3249 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन–355 सं0 2. साइलेज इकाई–12 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 17 सं0	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–4060 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन–520 सं0 2. साइलेज इकाई–33 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 35 सं0	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 4500 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन– 520 सं0 2. साइलेज इकाई–33सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 35 सं0 4. जल प्रयोग एवं पाईप	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।			4. जल प्रयोग एवं वितरण– 96 है0 5. वाटर लिफ्टिंग डिवाईस– 3 सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 114 सं0 7. ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–2500	4. जल प्रयोग एवं वितरण– 386 है0 5. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 146 सं0 6. ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)– 3500	वितरण– 386 है0 5. वाटर लिफ्टिंग डिवाईस– 58 सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 146 सं0 7. ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–3500	कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	
5	मृदा स्वास्थ्य उर्वरता AAP based Component under RKVY (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। 4. विभिन्न प्रयोगशालाओं का विस्तारिकरण / सुदृढ़ीकरण	800.00 + 151.00	-	भारत सरकार द्वारा योजना संचालित नहीं की गई।	योजना के अन्तर्गत 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 55000 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण– 55000 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 55000	योजना के अन्तर्गत 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 52368 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण– 52368 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 52368	कृषकों को मृदा परीक्षण आधारित संस्तुतियां उपलब्ध करायी जायेगी जिससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। अनावश्यक उर्वरकों पर खर्च कम होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी	एक वर्ष
7	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि	6667.00	-	वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसमें	वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसमें	भारत सरकार से 6100 नये क्लस्टरों में योजना के संचालन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, जिसके अन्तर्गत 122000 है0 क्षेत्रफल को जैविक	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	तीन वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्यांश)	को प्रोत्साहित करना।			परम्परागत फसलें– 2555, सब्जी / उद्यानीकारण / फूल–1241, रेशम विकास–59, सगंध पौध के 45 क्लस्टर चयनित है।	परम्परागत फसलें– 2555, सब्जी / उद्यानीकारण / फूल–1241, रेशम विकास–59, सगंध पौध के 45 क्लस्टर चयनित है।	कृषि से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।		
8	नैशनल बैम्बू मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बांस की खेती को प्रोत्साहन	0.00	-	योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।			कृषकों की आय में वृद्धि हेतु।	एक वर्ष
9	नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)– नई योजना	प्राकृतिक खेती का उददेश्य उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है।	522.24		–	6400 है0 (128 क्लस्टरों में) योजना को संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुआ है।	प्राकृतिक खेती को अपनाकर उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाना है तथा शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना है।	कृषकों में आय में वृद्धि होगी	4 वर्ष
	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन **(NMAET)**								
9.	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं	1. लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2. कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु जोत वाले कृषकों को	7580.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –31 2. फार्म मशीनरी बैंक– 265 3. ट्रैक्टर – 125 4. रोटावेटर –390 5. लेजर लैंड लेवलर	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –20 2. फार्म मशीनरी बैंक– 150 3. ट्रैक्टर – 32 4. रोटावेटर –280 5. लेजर लैंड लेवलर	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –50 2. फार्म मशीनरी बैंक–350 3. ट्रैक्टर –50 4. रोटावेटर –400 5. लेजर लैंड लेवलर – 100	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्यांश)	भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4. सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5. प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना। 6. प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।			–25 6. पावर वीडर – 2850 7. थैसर/मल्टी क्रॉप–120 8.पावर टिलर –19 9. ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र – 210 10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–25 11.कृषि रक्षा यंत्र–25 12. चैफ कटर–125 13. ब्रश कटर– 50 14. पशु चालित यंत्र–1800 15. मानव चालित यंत्र–2000	–12 6. पावर वीडर – 2400 7. थैसर/मल्टी क्रॉप–100 8.पावर टिलर – 10 9. ट्रैक्टर/ पावर चलित यन्त्र –680 10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–35 11.कृषि रक्षा यंत्र–125 12. चैफ कटर–140 13. ब्रश कटर– 100 14. पशु चालित यंत्र–3000 15. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–100 16. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 780 17.छोटे कृषि यंत्र–7750	6. पावर वीडर – 6600 7.पावर टिलर – 15 8. ट्रैक्टर पावर चलित यन्त्र –2015 9. रीपर–65 10.कृषि रक्षा यंत्र–200 11. चैफ कटर–200 12. ब्रश कटर– 50 13. पशु चालित यंत्र–800 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–100 15. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 172 16.छोटे कृषि यंत्र–30000	का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
10	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (90:10 केन्द्रांश एवं	कृषकों को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	1000.00 + 50.02	-	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 90018 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–35951 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया,	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–96500 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 39000 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया,	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–97000 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–39500 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी,	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्यांश) + 100 प्र0के0पो0				सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–17575 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण (कुं0)–3686	सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–23500 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–3000	बीज वितरण (कुं0)–24000 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–3150	फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	
11	NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार (डिजीटल एग्रीकल्चर)	200.00	-	परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। ई–टेन्डर की कार्यवाही गतिमान है	भारत सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाईन के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम् तकनीकी, उपग्रह डाटा / रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. तथा मौसम के कारकों के आंकड़ों के उपयोग के आधार पर कृषि विकास को नई दिशा दी जा रही है।	नवीनतम तकनीकी, जी0आई0एस0 उपग्रह डॉटा / रिमोट सेंसिंग तथा आई0ओ0टी0 से प्राप्त डाटा के अन्तर्गत Econometric models का उपयोग कर फसलों के उत्पादन के पूर्वानुमान / अनुमान लगाया जायेगा	दो वर्ष
12	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास।	1778.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 99 2. प्रदर्शन– 11452 3. भ्रमण कार्यक्रम–74 4. कृषक समूहों का गठन– 740 5. किसान मेलों का आयोजन–11 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–20 7. किसान गोष्ठी /	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 150 2. प्रदर्शन– 4800 3. भ्रमण कार्यक्रम–85 4. कृषक समूहों का गठन– 350 5. किसान मेलों का आयोजन–13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–26 7. किसान गोष्ठी /	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण–260 2. प्रदर्शन–7010 3. भ्रमण कार्यक्रम– 105 4. कृषक समूहों का गठन – 740 5. किसान मेलों का आयोजन– 13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 26 7. किसान गोष्ठी /	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव –	4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना। 5. कृषक समूह का गठन। 6. सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना।			फील्ड–डे–153 8. कृषक पुरूस्कार–404 9. फार्म स्कूल– 268 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 55841 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–322 9. फार्म स्कूल– 285 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 18226 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–510 9. फार्म स्कूल– 210 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –18020 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14		
13	किसानों हेतु फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) (50:50 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। 2. खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। 3. किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य	400.01	-	में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1. बीमित कृषकों की संख्या–0.87 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.21 लाख है0 3. बीमित धनराशि–रू0 13750.53 लाख	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1. बीमित कृषकों की संख्या–1.41 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.27 लाख है0 3. बीमित धनराशि–रू0 16835.40 लाख	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 2.00 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–2.50 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.35 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव–	आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। 4. उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।			4.प्रीमियम की धनराशि– रू0 685.66 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में– 479.95 लाख। 6.लाभान्वित कृषक खरीफ में– 21914	4.प्रीमियम की धनराशि– रू0 950.66 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में– 27.92 लाख (व्यक्तिगत आधार पर) 6.लाभान्वित कृषक खरीफ में– 271 (व्यक्तिगत आधार पर औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन की कार्यवाही गतिमान है			
	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)								
14	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना Timely Reporting Scheme (TRS) (100 प्रतिशत केन्द्रांश	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	-		नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ –1693 रबी –1693 जायद –477 **योग – 3863**	नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ –1693 रबी – 1693 जायद – 477 **योग – 3863**	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रयोग नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ – 1693 रबी – 1693 जायद – 477	फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान होगा, जिसका अग्रिम आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	एक वर्ष
	फसल सांख्यिकी	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का	-	-	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार	कृषि सांख्यिकी के	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	सुधार योजना Improvement In Crop Statistics (ICS) (100 प्रतिशत केन्द्रांश	पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।			किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–546 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–273 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–546 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–273ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	किये जायेंगे :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–546 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–273 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100 प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120 प्रयोग	अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	
16	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM-Kisan (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	1. किसानों को कृषि निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना। उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित	-	-	2021–22 में तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 समस्त किसान परिवारों को प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना। 1. सक्रिय कृषक– 9.10 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि–547.77 करोड़	2022–23 में योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक लाभान्वित हुये :– 1. कुल सक्रिय कृषक– 8.96 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि– प्रथम किस्त– अप्रैल–जुलाई–रू0 889850 द्वितीय किस्त– अगस्त–नवम्बर–रू0 677514 तृत्तीय किस्त– दिसम्बर–मार्च–रू0	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।	01 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		करेगी। उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।				750000 (सम्भावित)			
17	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) (50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.–के.एम.वाई) के अन्तर्गत सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।	-	-	18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक–2083	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक– 2083	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र होंगे।	एक वर्ष
18	कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक	-	-	वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक कुल 6 वर्षो में 785 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने जाने का प्रविधान है। वर्ष 2021–22 तक रू0 31.26 करोड़ के ऋण अनुमोदित किये गये है।	रू0 314 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। सम्भावित– 70.00 करोड़	रू0 471 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।	फसलोपरांत उत्पादों को रखने एवं विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी।	01 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ऋण वित्त सुविधा।							
19	किसान उत्पादक समूह (FPO)	**1.** किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। **2.** सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। **3.** किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। **4.** किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना	-	-	निम्न संस्थाओं द्वारा 57 कृषक उत्पादक समूह गठित किये गये– 1. नाबार्ड–22 2. एस0एफ0ए0सी0–14 3. एन0सी0डी0सी0–21 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।	निम्न संस्थाओं द्वारा 153 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जायेगा– 1. नाबार्ड–31 2. एस0एफ0ए0सी0–51 3. नाफेड– 31 4. एन0सी0डी0सी0–25 5. एन0डी0डी0बी0– 2 6. ट्राइफेड– 2 7. जैविक बोर्ड –11 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण NABCONS द्वारा पॉलिसी का ड्रॉफ्ट कर दिया गया है। –तदैव–	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी निर्गत कर दी जायेगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स – SND (100 के0पो	फसलों की बुवाई के उपरान्त ख्रीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल अनुमान एवं फसल कटने से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार किया जाना है।	100.00					फसलों की बुवाई के उपरान्त तथा फसल कटाई से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार करना।	एक वर्ष
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग		**39897.30**	-					
	राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	12894.76	-	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ 5080, रबी / जायद–3702	कृषि विभाग के कार्यरत 1252 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ में 5110, रबी / जायद में लगभग	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रायोजित होंगे। खरीफ–5110, रबी / जायद–3730	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए जायेंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेगें, जिससे प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार होंगें।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						–3730			
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	692.76	-	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया गया।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	71.75	-	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया गया। 1. नमूनों का विश्लेषण– उर्वरक – 418 कीटनाशी – 307 बीज – 531	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जा रहा है। 1.नमूनों का विश्लेषण – उर्वरक – 220 कीटनाशी – 261 बीज – 706	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जायेगा। 1. नमूनों का विश्लेषण– मृदा – 52368 उर्वरक – 310 कीटनाशी – 322 बीज – 800	कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 एवं 40 प्रतिशत	1000.00	-	केन्द्रपोषित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम हो रहा है, वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके।			क्षेत्रों में आपदाग्रस्त जनपदों में 40 प्रतिशत एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी गयी।	में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार होगा।	
5	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	55.51	-	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया गया।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र में नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	1200.00		प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	चयनित कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	कलस्टर आधारित स्वयं सहकारी कृषि के माध्यम से एकीकृत कृषि कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष
7	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	0.01		न्याय–पंचायत स्तर पर तैयार माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से तथा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में आयवृद्धिपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये गये।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जा रहे हैं।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जायेंगे।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	दो वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	योजना का मुख्य उददेश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है ताकि कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन एवं कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है।	2500.00		कृषि से सम्बन्धित 11 विभागों यथा–यू0सी0एफ0, कृषि, भेड़ एवं ऊन विकास, लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुपालन, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मत्स्य, डेयरी, रेशम, पं0गो0ब0पन्त विश्वविद्यालय, वी0पी0के0ए0एस0, वी0च0सि0भण्डारी, भरसार विश्वविद्यालय एवं कैप की 11 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिनपर कार्य संचालित है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 सम्बन्धित विभागों को कार्य क्रियान्वयन हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।	उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास, कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	सर्वेक्षण का उददेश्य खरीफ ऋतु में फसल मण्डुवा, सॉवा, उर्द, गहत, सोयाबिन, भटट, राजमा एवं रबी में फसल मसूर व लाही/सरसों की उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकडे तैयार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय भाग के किसानों को	9.25		वर्ष 2021–22 में योजना के अन्तर्गत 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित किये गये।	वर्ष 2022–23 में कुल सम्भावित 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित किया जायेगा।	वर्ष 2023–24 में पर्वतीय जनपदों की सभी फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिसमें परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर उनकी आय में वृद्धि कराना है।							
10	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	2000.00		–	मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु सहकारिता विभाग को रिवॉलविंग फण्ड के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिससे कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा/ झंगोरा क्रय किया गया है।	10000 मै0टन0 मण्डुवा अन्तःग्रहण करने का लक्ष्य है।	कृषकों को स्थानीय फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा।	एक वर्ष
11	जैविक मण्डुवा उत्पादन कार्यक्रम	जैविक मंडुवा के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि	-		योजना संचालित नहीं हुयी।				
12	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	55.00	–	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 336.76 कुं0 खरीफ एवं 443.40 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल 780.16 कुं0 बीज उत्पादन	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 347.70 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन। रबी में लगभग 550 कुं0 बीज उत्पादन की सम्भावना है। वर्ष में लगभग कुल 897.70 कुं0 बीज उत्पादन सम्भावित है।	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 950 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	0.01	-	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया गया।	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग / संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।	जैविक कृषि को बढ़ावा देना।	एक वर्ष
14	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	12.37	-	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	एक वर्ष
15	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	प्रदेश में बीमा योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करना। ग्राम पंचायत पर क्रॉप कटिंग कराना एवं उसके आधार पर फसल बीमा के अन्तर्गत क्षति का मूल्यांकन करना। यह कार्य आउट सोर्सिंग / टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।	100.00	-	योजना मैदानी जनपदों में फसल धान, गेहूँ पर क्रॉप कटिंग प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर किये गये	रबी 2022–23 के क्रॉप कटिंग प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त जनपदों में फसल गेहूँ पर किये जायेंगे।	खरीफ एवं रबी मौसम में क्रॉप कटिंग ग्राम पंचायत स्तर पर करायी जायेगी।	ग्राम पंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा। इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष
16	खाद्यान्न / दलहन /	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता	-	1550.00	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 39088	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 41312	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 42750	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	सुनिश्चित करना।			कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण।	कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	
17	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	-	1500.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. पौध रक्षा रसायन– 370 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 995 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 6990 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. पौध रक्षा रसायन– 280 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 960 मै0टन 3. जैव उर्वरक–67280 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. पौध रक्षा रसायन–295 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 1200 मै0टन 3. जैव उर्वरक–75,000 ली0	फसलों पर लगने वाले कीट/रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगे।	एक वर्ष
18	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	50.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	गत वर्ष जिन 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट से पूर्ण किया जा रहा है।	विकासखण्ड स्तर पर निर्मित 5 राजकीय बीज भण्डारों/अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष
19	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	523.43	-	चयनित 54 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण– 5566 सं0	चयनित 61 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण–6426 सं0	चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :– 1. बीज मिनिकिट वितरण –7000 सं0	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास होगा, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विकास कार्यक्रम ––तदैव ––				2. मृदा एवं जल संरक्षण – 341 है0 3. चैक वॉल / रिटेनिंग वॉल / ब्रस्ट वॉल–60 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–5588 सं0 5. बुखारी वितरण–197सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–510 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–25228 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–5 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–1055 है0 10. पॉली हाऊस–8सं0 11. मुर्गीबाड़ा–30 सं0 12. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी–740 सं0 13. फल पौध वितरण–7687 सं0 14. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–405 है0	2. मृदा एवं जल संरक्षण – 117 है0 3. चैक वॉल / रिटेनिंग वॉल / ब्रस्ट वॉल–169 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–6594 सं0 5. बुखारी वितरण–153सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–1034 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–36400 मी0 8. जल पम्प / स्प्रिंकलर–1 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–2010 है0 10. पॉली हाऊस– 22 11. मुर्गीपालन–4966 सं0 12. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी–120 सं0 13. सिंचाई टेंक (सामु0)– 15 सं0 14. फल पौध वितरण–10622 सं0 15. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–1038 है0	2. मृदा एवं जल संरक्षण – 350 है0 3. चैक वॉल / रिटेनिंग वॉल / ब्रस्ट वॉल–170 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–7200 सं0 5. बुखारी वितरण–200 सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–1200 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–40000 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–20 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–2500 है0 10. पॉली हाऊस– 25सं0 11. मुर्गीपालन– 5000 सं0 12. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी–170 सं0 13. फल पौध वितरण–10000सं0 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़–1000 मी0 15. कृषि रक्षा रसायन /	सुधार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होगी। ––तदैव ––	

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						16. मौन पालन–55 सं0	सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–500है0		
20	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	201.71	-	चयनित 12 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये:– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1445 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 202 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 4749 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 13500 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 300 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 740 है0 7. उद्यानीकरण– 16 है0 8. मुर्गीपालन– 76 सं0 9. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–75 है0 10. बुखारी वितरण–20 सं0 11. कृषि यंत्र वितरण समूह में– 14 सं0	चयनित 18 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1380 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण –92 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 5985 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 14000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 100 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 715 है0 7. उद्यानीकरण–16 सं0 8. मुर्गीपालन / मौन पालन– 164 सं0 9. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 365 है0 10. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी– 16 सं0 11. सामूहिक सिंचाई	चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे:– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1500 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 300 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 6000 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 15000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक–300 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 800 सं0 7 उद्यानीकरण–20 सं0 8. मुर्गी पालन / मौन पालन–200 सं0 9. सिंचाई गूल–1000मी0 10. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 400 है0 11. राजमिस्त्री / लोहारगिरी / बढ़ईगिरी– 50 सं0	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची में वृद्धि कृषि क्षेत्र का विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						टैंक– 13 सं0 12. सिंचाई गूल– 600 मी0 13. फल पौध वितरण– 2800 सं0	12. सिंचाई गूल– 1000 मी0 13. फल पौध वितरण– 4000 सं0		
21	नाबार्ड सहायतित– आर0आई0 डी0एफ0– नया	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/ प्रोजैक्टों के संचालन हेतु बजट		1000.00	–	–	नाबार्ड द्वारा संचालित योजना आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वित्त पोषित	कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता के साथ–साथ आय में वृद्धि करना	
22	कृषक उत्पादक समूह	सामूहिक खेती को प्रोत्साहन	0.03				कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	किसानों की आय में वृद्धि करना	
23	राज्य मिलेट्स मिशन– SND	राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा	1500.00		–	–	वर्ष 2023–24 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है।	मिलेट्स फसलों को प्रोत्साहित करना एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना।	
24	जंगली जानवरों से	कृषकों की फसल की जंगली जानवरों से	-		–	–	कृषकों की फसल की जंगली जानवरों से सुरक्षा	कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता के साथ–	

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सुरक्षा हेतु चेनलिंक फैन्सिंग (घेरबाड)– SND	सुरक्षा हेतु खेतों के चारों तरफ चैनलिंक फेन्सिंग की व्यवस्था करना					हेतु खेतों के चारों तरफ चैनलिंक फेन्सिंग की व्यवस्था करना	साथ आय में वृद्धि करना	
25	मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि– SND	प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए समस्त किसान परिवारों को प्रति वर्ष रू0 2000.00 की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान करना	-		–	–	किसानों की आय में वृद्धि करना	किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ कृषि कार्यकलापों में निरन्तरता बनाये रखना।	
	राज्य सैक्टर का योग		**22816.59**	**4100.00**					
	केन्द्र एवं राज्य सैक्टर का योग		**62713.89**	**4100.00**					
	कुल योग		**66813.89**						